न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या– 10/2007 राजस्व प्रार्थना पत्र
पीठासीन अधिकारीः– श्री नरेश कुमार मालव आर.ए.एस.
निर्णय दिनांकः– 23.04.2010

उनवान

1. श्री जगदीशसिंह पिता कानसिंह निवासी कोटड़ा तहसील कोटड़ा।
2. श्रीमति राजकुमारी पुत्री कानसिंह निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा।
3. श्रीमति पार्वती देवी पुत्री कानसिंह निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा।
4. श्रीमति बनीबाई पत्नी कानसिंह तेली निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री श्यामसिंह पिता स्व. दोला जी तेली निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा
2. श्री रूपसिंह पिता स्व. दोला जी तेली निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा
3. श्री बाबूसिंह पिता स्व. दोला जी तेली निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा
4. श्री शंकरसिंह पिता स्व. दोला जी तेली निवासी कोटड़ा तह. कोटड़ा
5. श्री विजेन्द्र पिता बनवारीसिंह तेली निवासी कोटड़ा तहसील कोटड़ा।
6. श्री जितेन्द्र पिता बनवारीसिंह तेली निवासी कोटड़ा तहसील कोटड़ा।
7. श्री दवेन्द्र पिता बनवारीसिंह तेली निवासी कोटड़ा तहसील कोटड़ा।
8. श्री भैरूसिंह पिता होमा तेली निवासी कोटड़ा तहसील कोटड़ा।
9. स्रकार जरिये तहसीलदार कोटड़ा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 63(4) 92 ए आर.टी.एक्ट

अभिभाषकः– श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी (वादी)
श्री अनुपस्थित (प्रतिवादी)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कोटड़ा, पटवार क्षैत्र व तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 172, 203 व 173 में अंकित आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य में होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा सुविधानुसार मौके पर आरजियात का विभाजन कर काश्त कर रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष श्री मोड़ा थे, जिनके तीन पुत्र दोला, होमा व कानसिंह हुए। श्री दौला के पांच पुत्र श्री श्यामसिंह, बनवारीसिंह, रूपसिंह, बाबूसिंह व शंकरसिंह हुए, जिसमें बनवारीसिंह फोत हो चुका है, जिनके तीन पुत्र हुए जो प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 है। श्री होमा के एक पुत्र भैरूसिंह हुआ जो प्रतिवादी संख्या 8 है। वादीगण स्व. कानसिंह के वारिसान है। कोटड़ा तहसील की प्रथम बन्दोबस्त के वक्त मृतक दोला व होमा बालिग थे तथा कानसिंह मृतक नाबालिग था इसलिए वादग्रस्त आराजियात मृतक दोला व होमा के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गई तथा कानसिंह नाबालिग होने की वजह से राजस्व रेकार्ड में नाम

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

Scanned by CamScanner

अंकित नही हो पाया लेकिन वादी के पिता के बालीग होते ही तीनो भाईयों ने यानि मृतक दोला, होमा व कानसिंह ने मिलकर अपनी सुविधा अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर लिया यानि की पिछले 45–47 से तीनो भाई अपने जीवित काल के समय से ही अलग–अलग आराजी पर कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में मृतक दोला, होमा व कानसिंह का 1/3–1/3 हिस्सा होकर अलग–अलग काश्त कर रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित होने की वजह से वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकार की घोषणा कराते हुए विभाजन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी व वादी के पिता का पिछले 45–47 वर्ष से मुतवातिर 1/3 हिस्से पर आधिपत्य होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिए वादीगण 1/3 हिस्से की घोषणा अपने नाम करवा अपने नाम अलग खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार खातेदारी अधिकार की घोषणा फरमाई जाकर हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के अनुसार विभाजन कराया राजस्व रेकार्ड में अलग–अलग प्रविष्टि दर्ज कराई जावें एवं अलग–अलग लगान कायम कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तबल किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण में जवाब पेश नही होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी की एक तरफा साक्ष्य में गवाह श्री जगदीश चन्द्र श्री नगीन कुमार श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री रामा के शपथ पत्र पेश किये जो शामील मिसल किये गये। वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में और कोई गवाह पेश नही करना चाहने से साक्ष्य वादी बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी अपनी बहस में प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि मौजा कोटड़ा, पटवार क्षैत्र व तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 172, 203 व 173 में अंकित आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त आधिपत्य में होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा सुविधानुसार मौके पर आरजियात का विभाजन कर काश्त कर रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के सजरा खानदान में मूल पुरूष श्री मोड़ा थे, जिनके तीन पुत्र दोला, होमा व कानसिंह हुए। श्री दौला के पांच पुत्र श्री श्यामसिंह, बनवारीसिंह, रूपसिंह, बाबूसिंह व शंकरसिंह हुए, जिसमें बनवारीसिंह फोत हो चुका है, जिनके तीन पुत्र हुए जो प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 है। श्री होमा के एक पुत्र भैरूसिंह हुआ जो प्रतिवादी संख्या 8 है। वादीगण स्व. कानसिंह के वारिसान है। कोटड़ा तहसील की प्रथम बन्दोबस्त के वक्त मृतक दोला व होमा बालिग थे तथा कानसिंह मृतक नाबालिग था इसलिए वादग्रस्त आराजियात मृतक दोला व होमा के नाम

उपखण्ड अधिकारी
कोटडा (जिला उदयपुर)

Scanned by CamScanner

पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गई तथा कानसिंह नाबालिग होने की वजह से राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित नही हो पाया लेकिन वादी के पिता के बालीग होते ही तीनो भाईयों ने यानि मृतक दोला, होमा व कानसिंह ने मिलकर अपनी सुविधा अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर लिया यानि की पिछले 45–47 से तीनो भाई अपने जीवित काल के समय से ही अलग–अलग आराजी पर कब्जा होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में मृतक दोला, होमा व कानसिंह का 1/3–1/3 हिस्सा होकर अलग–अलग काश्त कर रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित होने की वजह से वादग्रस्त आराजियात के खातेदारी अधिकार की घोषणा कराते हुए विभाजन कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। वादग्रस्त आराजियात पर वादी व वादी के पिता का पिछले 45–47 वर्ष से मुतवातिर 1/3 हिस्से पर आधिपत्य होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजियात वादीगण के नाम पर नही होने से वादीगण उसका बेहतर विकास करने हेतु किसी ऋणी संस्था से ऋण लेने में भी असमर्थ है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपनी बहस के अन्त में वादीगण का वाद माफिक प्रार्थना स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

मेने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, बयान गवाहान का अवलोकन किया। मौजा कोटड़ा, पटवार क्षैत्र व तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 172, 203 व 173 के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होना स्पष्ट होता है। वादीगण का कथन है कि उक्त आराजियात मौरूसी जायदाद होकर वादीगण का 1/3 हिस्सा है। वादीगण के पिता वक्त बन्दोबस्त नाबालिग होने से उक्त आराजियात प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गई। जमाबन्दी सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत 2012 के अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजिया स्व. मोडा की मृत्यु के बाद श्री दोला एवं श्री होमा के नाम पर आई। उक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त आराजियात स्व. मोड़ा की थी। प्रतिवादीगण, वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान गलत होने का कोई सबूत पेश नही किया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण स्व. मोड़ा के वारिसान है एवं वादग्रस्त आराजिया मौरूसी जायदाद है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त आराजियात में 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा कोटड़ा तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर की जमाबन्दी संवत 2060 से 2063 के खाता संख्या 172, 203 व 173 में वर्णित आराजियात के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार 1/3 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को एवं 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार मौके पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कोटड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात उपरोक्त हिस्से अनुसार दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार विभाजन किया जाकर विभाजन योजना पेश करें। कमिश्नर फीस वादीगण नियमानुसार अदा करेगा। तहसीलदार कोटड़ा को तहरीर जारी की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
उपखण्ड अधिकारी
कोटडा (कोटड़ा)

Scanned by CamScanner